न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 50/2020 वाद

अनवान

1. श्री प्रेमनाथ पिता कागु उर्फ काउवा जाति डूंगरी/भील निवासी धरावण तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्री रमिया उर्फ रमेश पिता नान जी जाति लहूर/भील निवासी नालवा/धरावण तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।
2. श्री प्रभुलाल पिता भजा जाति चव्हाण/भील निवासी धरावण तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–28.01.2021

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद इस प्रकार है कि मौजा धरावण, पटवार हल्का धरावण, भू–अभिलेख निरीक्षक फलासिया, तहसील झाडोल उदयपुर में वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि निम्न प्रकार से है:–

क.सं.	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	1611	0.02	0.06
2	2471	0.03	0.09
3	2472	0.02	0.16
4	2617	0.03	0.09
5	2618	0.07	0.22
6	2623	0.10	0.31
7	2624	0.28	0.87
8	3049/2033	1.00	3.12
कुल किता	**8**	**1.58**	**4.92**

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि पर वादी व उसका परिवार सुख शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है एवं उस पर प्रतिवर्ष पैदावार लेते आ रहे है एवं वादी को कानूनन अपने स्वामित्व व आधिपत्य की उपर वर्णित कृषि भूमि पर काबिज रह काश्त किये जाने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है कि वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से कोई दखलदांजी करें।
3. यह कि प्रतिवादीगण वादी की वाद वर्णित भूमि को जबरन अपने भूजबल क आधार पर हडपना चाहते है और इसी वजह से आये दिन कोई न कोई हरकत करते आ रहे है और अभी लोक डाउन का अवैध लाभ उठाने की गर्ज से दिनांक 10.07.20 को

सहायक कलक्टर
झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वाद वर्णित वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से हथियारो से लेस हो प्रवेश आये व जबरन वादी की बाड को नष्ट करने लगे व वादी की बोई फसल को भी नुकसान कराने को आमादा हो वादी को जान से मारने को उतारू हुए, जिस पर उस समय तो वादी ने जैसे तैसे इनसे अपनी सुरक्षा कराई व फिर मौतबीरान से समझाईश कराई तो भी प्रतिवादीगण किसी की बात मानने को तैयार नही हो बराबर वादी को धमकी दे रहे है कि फसल बो दी तो क्या हुआ कटाई हम करेगें। हमारी मतवेशी से नष्ट करवा कर रहेगें। इस प्रकार बराबर प्रतिवादीगण, वादी को धमकियां दिये जा रहे है कि अब इस जमीन पर आकर देख लेना, मर्डर कर देगें। जमीन हम लेकर रहेगें। ऐसी स्थिति वादी का अपनी जमीन पर निर्भिक रूप से काश्त करना मुश्किल हो गया है। प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि कुछ भी हो जाये इस जमीन से प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि कुछ भी हो जाये इस जमीन से प्रतिवादीगण, वादी को बेदखल करके रहेगें और मौके पर कब्जा कर रहेगें। जो कि विधि विरूद्ध है। प्रतिवादीगण का वादी की वादोक्त भूमि से कोई सरोकार नही होते हुए वे जबरन न्याय व कानून को हाथ में लेकर वादी की वाद वर्णित भूमि से जबरन वादी को बेदखल कर मौके पर कब्जा करने पर आमादा है। उन्हे कानून व पुलिस का भी कोई भय नही रहा है। जिन्हे ऐसा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है।

4. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के उपरोक्त कृत्य से आहत होकर मौतबीरान से समझाईश भी कराई परन्तु इसके बावजूद प्रतिवादीगण बराबर वादीगण को वादोक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे कोई न कोई दखलनदांजी बराबर करते आ रहे है। जिससे वादी की फसल की सुरक्षा खतरे में है साथ ही वादी को कभी भी बेदखल कर सकते है, उसकी फसल नष्ट कर सकते है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में निषेधाज्ञा का वाद पेश करने के सिवाय वादी के पास सिवाय न्यायालय आप के अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है।

5. यह कि वादी वादोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होकर उसे अपने स्वामित्व व आधिपत्य की वाद वर्णित भूमि पर काबिज रह काश्त उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है। लगान अदायगी वादी द्वारा की जा रही है। प्रतिवादीगण का वादोक्त भूमि से कोई सरोकार नही होते हुए भी वे जबरन अपने जन बल व भूज बूल के आधार पर वादी को बेदखल करने को आमादा है। वादी की वादोक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर देगें। जिससे वादी के साथ भारी अन्याय हो जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को ऐसा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यह हो गया है। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा के दावीदार है।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 10.07.2020 को जब प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वादी की वादोक्त भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आये दिन वादी की बाड को नुकसानी कारित करते हुए फसल नष्ट कराने को आमदा हुए, तब वादी के विरोध करने व मौतबीरान की समझाईश के बावजूद नही माने और वादी को मौके से बेदखल करने की धमकी देते हुए मौके पर वादी के जाने पर जान से मारने को आमदा होने से पैदा हुआ है। जो निरंतर जारी है।

7. यह कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने हेतु निवेदन किया है कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के आशय की जारी फरमाई जावे कि कब्जे काश्त की वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश नही करे। वादी के उपयोग उपभोग व काश्त कार्य, खडी फसल, घास, वृक्ष, बाड आदि

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (प), जिला उदयपुर

को किसी प्रकार से नुकसानी कारित नही करे। और न ही वादीगण को मौके से बेदखल करे। प्रतिवादीगण किसी प्रकार मौके पर अपनी ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर कब्जा कर देवे तो धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार पुनः वादी को काबिज कराया जाकर पूर्ववत स्थिति बहाल कराई जावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के सम्मन प्रोपर तामिल करवाई गई। दिनांक 13.10.20 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को न्यायालय में विधिवत आवाज दिलाई गई। बावजुद सुचना के अनुपस्थित। अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. वादी द्वारा प्रदर्श 1 अनुसार मौजा धरावण पटवार सर्कल सोम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फलासिया तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 पेश की गई।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 में मौजा धरावण पटवार सर्कल सोम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फलासिया तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 पेश की है। प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं. 1611, 2741, 2472, 2617, 2618, 2623, 2624 एवं 3049/2033 कुल किता 8 कुल रकबा 1.58 हैक्टर वर्तमान में वादी प्रेमनाथ पिता काऊवा भील के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है।

9. प्रतिवादीगण जिनकी वादी की वादोक्त भूमि से कोई सरोकार नही होते हुए भी जबरन वादी को बेदखल करना चाहते है व वादी के भूमि उपयोग में दखलन्दाजी करते है।

अतः प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा धरावण पटवार सर्कल सोम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फलासिया तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 में आराजी सं. 1611, 2741, 2472, 2617, 2618, 2623, 2624 एवं 3049/2033 कुल किता 8 कुल रकबा 1.58 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक उपयोग करने देवे। वादी के उपयोग उपभोग व काश्त कार्य, खडी फसल, घास, वृक्ष, बाड आदि को किसी प्रकार से नुकसानी कारित नही करें। और न ही वादी को मौके से बेदखल करे। ऐसा न स्वंय करे न अन्य किसी से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, झाडोल ★ जिला उदयपुर (राज.) ★ सत्यमेव जयते

Akshay

(अक्षय गोदारा IAS)

सहायक कलक्टर झाडोल

झाडोल (फ) जिला उदयपुर

जिला उदयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

अनवान

1. श्री प्रेमनाथ पिता कागु उर्फ काउवा जाति डूंगरी/भील निवासी धरावण तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्री रमिया उर्फ रमेश पिता नान जी जाति लहूर/भील निवासी नालवा/धरावण तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।
2. श्री प्रभुलाल पिता भजा जाति चव्हाण/भील निवासी धरावण तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर 50/2020 वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू अक्षय गोदारा पी मिनजनिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा धरावण पटवार सर्कल सोम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फलासिया तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 में आराजी सं. 1611, 2741, 2472, 2617, 2618, 2623, 2624 एवं 3049/2033 कुल किता 8 कुल रकबा 1.58 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादी के काश्त कार्य, खडी फसल, घास, वृक्ष, बाड आदि को किसी प्रकार से नुकसानी कारित नही करें। और न ही वादी को मौके से बेदखल करे। ऐसा न स्वंय करे न अन्य किसी से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.01.2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर, झाडोल ★ सत्यमेव जयते ★ जिला उदयपुर (राज.)

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर, झाडोल
जिला उदयपुर